



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032022-234439
CG-DL-E-25032022-234439

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1275]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 2022/चैत्र 3, 1944

No. 1275]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 2022/CHAITRA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2022

का.आ. 1317(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, झारखण्ड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में ROB निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण(RBK-24) के कि.मी 160.465 से 162.485 हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में ROB निर्माण हेतु (RBK-24) के कि.मी. 160.465 से 162.485 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH75E पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिस्ट्रिक्ट लेन्ड एक्विजिशन ऑफिसर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH75E के कि.मी. 160.465 से 162.485 तक	झारखंड	वेस्ट सिंहभूम	टोन्टो झींकपानी	1 बड़ा लीसिया 1 लोकेसाई 2 जोड़ा पोखर

[फा. सं. RW/Ranchi/LA/RBK-24/NH-75E/JHR/2021-22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2022

S.O. 1317(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of ROB (RBK-24) of km. 160.465 to 162.485 of West Singhbhum district of the JHARKHAND State.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH75E for construction of ROB (RBK-24) in the State of JHARKHAND.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal		Name of the Village
1	2	3	4	5	6		7
1	District Land Acquisition Officer	160.465KM To 162.485KM	JHARKHAND	WEST SINGHBHUM	Tonto	1 Bara Lisia	
					Jhinkpani	1	Lokesai
						2	Jorapokhar

[F. No. RW/Ranchi/LA/RBK-24/NH-75E/JHR/2021-22]

RAJESH GUPTA, Director